

राजस्व उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.



123/2023

1. सविता पुत्री हरपत पत्नी जर्मनसिंह जाति जाट निवासी कणाउ तहसील भादरा हाल
निवासी ग्वालिसर तहसील सिद्धमुख जिला चुरू। :- प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरेवेन्यू एक्ट
उपस्थिति :- श्री महेश बंसल प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक: 16/4/23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं० 81/83 के खसरा सं० 120, 310, 611/120, 637/118 कुल रकबा 13.7840 है० बारानी कृषि भूमि में प्रार्थीया का 1/24 हिस्सा सविता पुत्री हरपत संरक्षक माता सरोज पत्नी हरपत के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है

प्रार्थीया कविता पुत्री हरपत के सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता फोटो, पञ्चान पत्र, बैंक पास बुक एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम सविता पुत्री हरपत दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि को सही प्रकार से उपयोग-उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उक्त त्रुटि की शुद्धि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन भेजा गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब दिया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं० 81/83 के खसरा सं० 120, 310, 611/120, 637/118 कुल रकबा 13.7840 है० बारानी कृषि भूमि में प्रार्थीया का 1/24 हिस्सा कविता पुत्री हरपत संरक्षक माता सरोज पत्नी हरपत के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थीया का सही नाम सविता पुत्री हरपत के स्थान पर पर अशुद्ध नाम कविता पुत्री हरपत दर्ज है, अतः प्रार्थीया का नाम कविता पुत्री हरपत के स्थान पर प्रार्थीया का सही नाम सविता पुत्री हरपत दर्ज किया जाये ताकि प्रार्थी अपनी वाद भूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा ग्राम पंचायत रिपोर्ट व तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार होने के कारण स्वीकार किया जाता है।



अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा कणाउ के खाता सं० 81/83 के खसरा 120, 310, 611/120, 637/118 कुल रकबा 13.7840 है० बारानी कृषि भूमि में प्रार्थीया का हिस्सा कविता पुत्री हरपत संरक्षक माता सरोज पत्नी हरपत के नाम से राजस्व रिकार्ड है उक्त राजस्व रिकार्ड में कविता पुत्री हरपत संरक्षक माता सरोज पत्नी हरपत के नाम पर सविता पुत्री हरपत संरक्षक माता सरोज पत्नी हरपत दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही रोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि में कविता पुत्री हरपत संरक्षक माता सरोज पत्नी हरपत के नाम से हो तो उसके लिए कविता पुत्री हरपत संरक्षक माता सरोज पत्नी हरपत ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक ...16/4/14... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में



(कविता शिवरान)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S.
भादरा उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़